बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अन्तर्गत न्यायिक वादों में तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारियों का एक पैनल तैयार किया जाना है। अतः इच्छुक एवं योग्य अधिवक्ता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी, जो उक्त कार्य में रूचि रखते हों, वे अपना विस्तृत बायोडाटा (अनुभव, मोबाईल नंबर सहित) के साथ आवेदन पत्र दिनांक–20.05.2026 तक विभाग के ई–मेल **urbansec-bih@nic.in** पर प्रेषित किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन उनके अनुभव, दक्षता एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु पारिश्रमिक का भुगतान वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–7248 दिनांक–04.08.20211 एवं संकल्प संख्या– 3882 दिनांक–03.05.2023 (**समय–समय पर संशोधित**) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। चयनित अधिवक्ता/सेवानिवृत्त पदाधिकारी को विभाग में प्रतिदिन उपस्थित होकर तथ्य विवरणी तैयार करना होगा। नियमित उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का नाम पैनल से हटाया जा सकता है। विभाग को किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा। पैनल से संबंधित सभी निर्णय नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लिए जाएँगे, जो अंतिम होंगे।

विभागीय आवश्यकतानुसार शर्त्तों में परिवर्तन किया जा सकता है।

05.05.26

(मृत्युंजय कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

विषयः विभिन्न न्यायिक वादों में सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के पुनरीक्षण के संबंध में ।

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3727 दिनांक 30.04.09 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सुयोग्य अधिवक्ताओं अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त अंग्रेजी जानने वाले सुयोग्य पदाधिकारियों/कर्मचारियों की एक सूची अपने स्तर पर तैयार कर सकेंगे एवं तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे तथा प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए संबंधित अधिवक्ता/सेवानिवृत सरकारी सेवक को अधिकतम तीन सौ रूपया तक भुगतान किया जा सकेगा तथा प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित कराने हेतु (आशु लेखन सहित) अधिकतम एक सौ रूपये का भुगतान किया जा सकेगा जिसकी स्वीकृति देने हेतु सरकार के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी सक्षम होंगे । यह भुगतान "13 05-विधि प्रभार" मद से किया जायेगा । व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रहेगा ।

उक्त संकल्प में निहित निदेशों के कार्यान्वयन के क्रम में यह महसूस किया गया है कि ऊपर अंकित निर्धारित दर पर सुयोग्य अधिवक्ता/सेवानिवृत सरकारी सेवक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अधिवक्ता/सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी को प्रति तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु अधिकतम छः सौ रूपया का भुगतान किया जा सकता है; इसके अलावे प्रारूप की अंग्रेजी प्रति टंकित करने हेतु अधिकतम एक सौ पचास रूपये देय होंगे ।

इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय । यह निर्णय निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांकः- वि०प्र०-12-56/2010......................,पटना, दिनांक..................................
प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव(व्यय) ।

ज्ञापांकः- वि०प्र०-12-56/2010.......7248.........,पटना, दिनांक.....4/8/11......................
प्रतिलिपिः-सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव(व्यय) ।

पत्रांकः-वि०प्र०-12-56/2010......3882......./वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- विभिन्न न्यायिक वाद में राज्य सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ताओं/सेवानिवृत सरकारी सेवकों के शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण।

वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3727 दिनांक-30.04.2009 द्वारा विभिन्न न्यायिक वाद में राज्य सरकार की ओर से तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ताओं/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवाएँ कतिपय शुल्क के आधार पर प्राप्त करने संबंधी समुचित निर्णय के क्रम में कालांतर में क्रमशः संकल्प ज्ञापांक-7248 दिनांक-04.08.2011 एवं संकल्प ज्ञापांक-487 दिनांक-15.01.2014 द्वारा शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण हुआ ।

सम्प्रति संकल्प ज्ञापांक-487 दिनांक-15.01.2014 द्वारा प्रभावी अनुमान्यता निम्नवत् हैः-

क्र०	मद का संदर्भ	अधिकतम अनुमान्य राशि
1.	प्रति वाद तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु	₹1200/- (एक हजार दो सौ रुपये)
2.	तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु	₹ 300/- (तीन सौ रुपये)

2. वर्ष 2014 में निर्धारित उक्त अनुमान्यता के पश्चात काफी समय बीत जाने के कारण सम्यक विचारोपरांत यह आवश्यकता पाई गई कि तथ्य विवरणी तैयार करने की प्रक्रिया में निहित मदों का शुल्क पुनरीक्षित किया जाय ।

3. इस हेतु दिनांक-24.04.2023 को आहूत बैठक में समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरांत की गई अनुशंसा के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आलोक में शुल्क/पारिश्रमिक का पुनरीक्षण निम्नवत् किया जाता हैः-

क्र.	मद का संदर्भ	अधिकतम अनुमान्य राशि
1.	प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु	₹2000/- (दो हजार रुपये)
2.	तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण हेतु (आशुलेखन सहित)	₹500/- (पाँच सौ रुपये)

4. शुल्क/पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित प्रशासी विभाग के बजट उपबंध के अन्तर्गत विषय शीर्ष-13 05-विधि प्रभार मद में उपबंधित राशि से अनुमान्य होगा ।

5. तद्नुसार एतद्संबंधी पूर्व निर्गत आदेश उक्त हद तक संशोधित समझा जाय ।

6. यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

निदेशानुसार कृपया।

अपर मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांकः-वि०प्र०-12-56/2010.......3882......./वि०, पटना, दिनांक...03.05.2023

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव (संसाधन)।

C-1756370/9-5-23

318

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–06/न०वि० (विविध)–02/2022 1664 /न०वि०एवं आ०वि० दिनांक–10/5/23

प्रतिलिपि–सभी विभागीय पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी एवं विभागीय पैनल अधिवक्ता, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/5/23

सरकार के उप सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना